महत्वपूर्ण
समय सीमा

संचालनालय लोक शिक्षण
छत्तीसगढ़
ब्लॉक-3, प्रथम, तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
फैक्स नं.-0771-2445215, फोन- 0771-2331385

क्रमांक/स्था.03/शि.प्र./30/2016/206, नया रायपुर, दिनांक 10-06-16

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ़।

विषयः-अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंध में।
संदर्भ:-छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 216/49/2013/20-तीन, दि. 14.01.2013

-0-

विषयान्तर्गत शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 14.01.2013 अनुसार शासकीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त नियमित शिक्षकों, जिनकी नियुक्ति 03 सितम्बर 2001 के पश्चात हुई हो एवं जो डी.एड या बी.एड प्रशिक्षित नहीं है, उन्हें 03 वर्ष की समय सीमा में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित होना था। यह समय सीमा इस वर्ष समाप्त हो गई है।

अतः आपके जिले में संचालित **प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला में कार्यरत समस्त शिक्षकों के प्रशिक्षित होने के संबंध में निम्नांकित तैयारी दिनांक 30.06.2016 तक** अनिवार्य रूप से कर लें:-

1. उक्त स्कूलों में समस्त **अप्रशिक्षित शिक्षकों** यथा अप्रशिक्षित सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक **(पंचायत/नगरीय निकाय),उच्च श्रेणी शिक्षक/(शिक्षक पंचायत/ नगरीय निकाय),प्रधान पाठक, प्रा.शा. एवं प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला** को यह सूचित करें कि यदि वे प्रशिक्षित हैं तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें अप्रशिक्षित मानकर सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए अप्रशिक्षित शिक्षकों की पदवार सूची अनिवार्य रूप से तैयार कर दिनांक **30.06.2016 तक इस संचालनालय** को उपलब्ध करावें।
2. उपरोक्तानुसार समस्त शिक्षकों से प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनके **प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित** होने की जानकारी **विभाग की "वेब पोर्टल" में दिनांक 30.06.2016 तक अनिवार्य रूप** से दर्ज करें। इसके पश्चात उक्त जानकारी **"वेब पोर्टल" में दर्ज नहीं** की जा सकेगी। इसी **"वेब पोर्टल" के आधार पर ही उन्हें प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित माना जावेगा।**

अतः उक्त समस्त **कार्यवाही सही एवं सावधानीपूर्वक दिनांक 30.06.2016 तक** अनिवार्य रूप से संपादित कर लें। इसके पश्चात यदि किसी शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी जानकारी छूट जाती है अथवा उसमें कोई त्रुटि होती है, तो वेब पोर्टल में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा। **उक्त त्रुटि के लिए जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही** की जावेगी।

संचालक लोक शिक्षण
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक/स्था.03/शि.प्र./30/2016/ नया रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, इन्द्रावत भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक लोक शिक्षण
छत्तीसगढ़

P.T.O